

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 2006

का.आ. 1491(अ).—रासायनिक हथियार समझौता अधिनियम, 2000 (2000 का 34) की धारा 6 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा निर्मांकित अधिकारियों को राष्ट्रीय प्राधिकरण का पदाधिकारी नियुक्त करती है तथा उक्त अधिकारियों को उक्त अधिनियम के उद्देश्य हेतु सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रवर्तन अधिकारियों के कार्य व शक्तियां सौंपती है :-

1. आसूचना अधिकारी और उससे ऊपर के राजस्व आसूचना महानिदेशालय के अधिकारीगण ।
2. राष्ट्रीय प्राधिकरण रासायनिक हथियार समझौता में उप निदेशक और उससे ऊपर के अधिकारीगण ।
3. रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग में सहायक औद्योगिक सलाहकार के पद के अधिकारीगण ।

[फा. सं. 40020/6/2005-रसा. I]

के. सी. मिश्रा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th September, 2006

S.O. 1491(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 9 read with Sub-section (2) of Section 6 of the Chemical Weapons Convention Act, 2000 (34 of 2000), the Central Government hereby appoints the following officers as the Officers of the National Authority, Chemical Weapons Convention and entrusts the said officers the powers and functions of Enforcement Officers for the purpose of the said Act with effect from the date of the publication of this notification in the Official Gazette, namely :—

1. Officers of Directorate General of Revenue Intelligence of the level of Intelligence Officer and above.
2. Officers of the level of Deputy Director and above in the National Authority, Chemical Weapons Convention.
3. Officers of the rank of Assistant Industrial Advisor and above in the Department of Chemicals and Petrochemicals.

[F. No. 40020/6/2005-Ch. I] ✓

K. C. MISRA, Jt. Secy.